संख्या-27/2021/242/सैंतीस-2-2021-1(41)/2013

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-02 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-368/सा0-1/एक्स-120(187)/मोबाइल-रा.यो./2020-21, दिनांक-27.01.2021 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-58/2020/1823/सैंतीस-2-2020-1(41)/2013 दिनांक-04.09.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों एवं मैनुपरी, बाराबंकी तथा बलिया में क्रियाशील कुल 51 सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन हेतु निम्नलिखित मानक मदों में अवशेष धनराशि रू0-76.00 लाख (रूपये छिहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	24.00
42-अन्य व्यय	6.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	46.00
योग-	**76.00**

(रूपये छिहत्तर लाख मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप ही किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी।
6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. सामग्री क्रय में एम.एस.एम.ई., वित्त एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन किया जायेगा।
8. योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
10. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
11. अनुमोदित की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
12. प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं दिनांक-18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-सचल पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों के संचालन की योजना (राज्य योजना) की सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-216/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-27/2021/242(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in